राज्य बजट का अध्ययन व विश्लेषण

बजट समाचार

त्रैमासिक अंक 61 जुलाई – सितम्बर 2017 सीमित प्रसार के लिए

सम्पादकीय

साथियों,

बजट समाचार का यह अंक आपके पास ऐसे समय में पहुंच रहा है जब सरकार आगामी बजट 2018–19 की तैयारी कर रही है। सरकार ने वित्त विभाग के वेबसाईट पर बजट 2018–19 के लिये जनता के सुझाव सरकार को दे सकते हैं। यहां यह बताना भी प्रासंगिक है कि पिछले महीने बार्क ने राज्य की स्वय सेवी संस्थाओं के साथ एक बजट पूर्व कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्देश्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा आम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सरकार को आगामी बजट के लिये सुझाव देना तथा इस कार्यशाला में हुई चर्चा पर हमने अगामी बजट के लिये मांग पत्र तैयार किया है जिसे सरकार के पेश किया जा रहा है। इस मांगपत्र के मुख्य बिन्दु निम्न है।

बजट में पारदर्शिता :

1. राज्य स्तर पर–

- सरकार सभी विभागों का ”परफोरमेंस एवं आउटकम बजट” बनवाना सुनिश्चित करे तथा विभाग उसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
- राज्य में बेहतर जेंडर बजट स्टेटमेंट उपलब्ध होना चाहिये।
- राज्य में अभी तक जनता की ट्रेजरी वेबसाइट तक पहुंच बहुत ही सीमीत है एवं इससे बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है। अतः सरकार को इसे जनता के लिये खोला जाये ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार की आय एवं खर्च को नियमित एवं समयावधिक रुप से ट्रैक कर सके।

2. जिला स्तर पर बजट संबंधित निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने चाहिये–

- राजस्थान में जिला बजट पर कोई पुस्तिका नहीं है अतः सरकार को हर जिले हेतु जिला स्तरीय बजट दस्तावेज तैयार करना चाहिये जो प्रत्येक जिले को कुल आवंटित बजट राशि की विभागवार/मुख्य मदवार जानकारी दे।
- राज्य सरकार द्वारा हर साल ग्रामीण एवं शहरी निकायों को राशि उपलब्ध करवायी जाती है जिसका सीमीत विवरण बजट दस्तावेज में उपलब्ध होता है। राज्य सरकार को इनका विस्तृत निकायवार विवरण उपलब्ध करवाना चाहिये।
- जिला आयोजना समिती द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद एवं स्थानीय शहरी निकायों द्वारा तैयार की गयी आयोजनाओं के आधार पर जिला विकास आयोजना तैयार की जाती है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को आम लोगों की पहुच में लाया जाना चाहिये।

सामाजिक सेवाएंः

1. शिक्षा एवं स्वास्थ्य–

- राज्य के आदिवासी, सुदूर एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में प्रारंभिक एवं माद्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है अतः शिक्षा की जहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- राज्य के विद्यालयों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में ढ़ाचागत सुविधाओं की बहुत कमी है अतः भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं का विकास किया जाये।
- जनसंख्या में बढ़ोतरी एवं लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी एवं इनका विस्तार किया जाये। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की कोई व्यवस्थित स्थानांतरण नीति नहीं है, अतः सरकार द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु एक नीति बनाई जानी चाहिये।

2. खाद्य सुरक्षा–

- खाद्य सुरक्षा योजना में आधार की अनिवार्यता एवं पोस (POS) की व्यवस्था से बहुत सी समस्याएं हो रही है एवं लोग परेशान हो रहे हैं अतः इस व्यवस्था को समाप्त किया जाये या सुधारा जाये।
- सरकार को इस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये हर एक राशन की दुकान पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की सूची लगाई जाये एवं सभी को राशन मुहैया।

3. सामाजिक सुरक्षाः

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था में सुधार लाकर सभी वृद्वों, विधवाओं एवं विशेषयोग्यजनों को न्युनतम मजदूरी की आधी राशि के बराबर पेंशन मुहैया करवायी जाये।
- सरकार को किसानों, मजदूरों एवं अन्य कमज़ोर लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये।

आर्थिक सेवाएंः

1. कृषि एवं पशुपालन

- कृषि एवं फसल बीमा के अंतर्गत पंचायत समिती–वार (Blockwise) सर्वे होता है। इसके स्थान पर ग्राम पंचायत वार सर्वे किया जाये। इसके अलावा सभी फसलों का अलग–अलग मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- कृषि एवं फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के अलावा अन्य कारणों से हुये नुकसानों (आग, चोरी, नील गायों द्वारा खराब करना) को भी शामिल किया जाये।

2. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज :

- राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों (शहरी तथा ग्रामीण) को राशि आवंटन वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में किया जाये, जिससे प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूर्ण किया जा सके।
- राज्य व केन्द्र वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में भौतिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं मानवीय विकास के कार्यों पर भी राशि व्यय हो।
- मनरेगा हेतु राज्य सरकार को अतिरिक्त बजट रखना चाहिये ताकि केन्द्र सरकार से राशि नहीं मिलने की स्थिति में भुगतान किया जा सके।

समाज के वंचित वर्ग

:1. दलित, आदिवासी तथा घुमंतु समुदायः

- बजट के आयोजना–गैर आयोजना वर्गीकरण की समाप्ति के बाद दलितों एवं आदिवासियों के लिये क्रियांवित उपयोजनाएं स्वतः समाप्त हो गयी हैं। अतः इस स्थिति में उपयोजनाओं के क्रियांवयन हेतु नयी रणनीति बनाई जाये एवं इसे कानूनी रुप देकर व्यवस्थित आयोजना एवं समुचित बजट के साथ लागू किया जाये।
- अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग को मजबुत करने हेतु इनको मय बजट, कार्य एवं अधिकार (Funds, Functions and Functionaries) प्रदान किये जायें।
- राज्य को एससी–एसटी एक्ट के अंतर्गत अपनी आकस्मिकता योजना बनाकर इसे लागू करना चाहिये।

शेष पृष्ठ 4 पर....

राज्य बजट में ग्रामीण विकास की स्थिति

राज्य में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याण एवं विकास योजनाओं का संचालन किया जाता है। ग्रामीण विकास राज्य बजट में एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार वार्षिक बजट आवंटित करती है। इस वर्ष सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में ग्रामीण विकास के लिये कुल 14,322.63 करोड़ रू. की राशि के व्यय का अनुमान किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्राम रोजगार, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मद के अंतर्गत राशि आवंटन को शामिल किया गया है।

तालिका 1 : राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन (राशि करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	राज्य का कुल बजट	ग्रामीण विकास	प्रतिशत
1	2012–13 वास्तविक	81263.91	5468.64	6.73 %
2	2013–14 वास्तविक	94101.08	5785.87	6.15 %
3	2014–15 वास्तविक	116605.48	11093.02	9.51 %
4	2015–16 वास्तविक	129736.02	12971.37	10.00 %
5	2016–17 संशोधित	148506.69	13642.74	9.18 %
6	2017–18 अनुमानित	166753.90	14322.63	8.59 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार पर

नोट : कुल राज्य बजट में उदय की राशि सम्मिलित नहीं है।

- वर्तमान वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास हेतु राज्य के कुल बजट का 8.59 प्रतिशत, (लगभग 14322.63 करोड़ रू.) का आवंटन हुआ है।
- वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास हेतु पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट की तुलना में लगभग 680 करोड़ रू. अधिक की राशि आवंटित की गई है।
- पिछले 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष तक ग्रामीण विकास का बजट राज्य के कुल बजट का लगभग 6 से 10 प्रतिशत के बीच रहा है।
- वर्ष 2014–15 में ग्रामीण विकास के बजट में एकाएक वृद्दि होने का कारण अधिक आवंटन नहीं बल्कि केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्य के आयोजना बजट में सम्मिलित होना है। जैसे– महानरेगा, इंदिरा आवास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि।
- पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट तथा वर्तमान वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में कोई खास बढ़ोतरी एवं ईजाफा दिखाई नहीं देता है, जिसका एक बड़ा कारण महानरेगा योजना के कुल बजट में श्रमिक भुगतान की राशि का सम्मिलित नहीं होना है।
- केन्द्र सरकार ने महानरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिये 01 अप्रेल 2016 से एक नई पद्धति National Electronic Fund Management System (NeFMS) लागू की है जिसके अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सीधे केन्द्र से श्रमिकों के खातों में किया जा रहा है। इसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यह ध्यान रहे कि इस लेख में महानरेगा के बजट का विश्लेषण केवल सामग्री बजट की जानकारी पर ही आधारित है।

तालिका 2 : राज्य बजट में ग्रामीण विकास हेतु आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	ग्रामीण विकास का कुल बजट
2017–18 अनुमानित	9632.21	4690.41	14322.63
प्रतिशत (%)	67.25 %	32.75 %	100 %

स्रोत – बजट पुस्तकों के आधार

नोट : इस वर्ष से राज्य सरकार ने बजट पुस्तिकाओं के माध्यम से बजट की जानकारी में आयोजना तथा आयोजना भिन्न मद का अलग–अलग विवरण देना बंद कर दिया है। इसके स्थान पर राज्य सरकार कुल आवंटन में राज्य निधि से खर्च तथा केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि की जानकारी उपलब्ध करवा रही है।

- इस वर्ष ग्रामीण विकास हेतु कुल अनुमानित राशि में से 67.25 प्रतिशत, (लगभग 9632.21 करोड़ रू.) राज्य सरकार द्वारा तथा 32.75 प्रतिशत लगभग 4690.41 करोड़ रू. केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये जाने प्रस्तावित हैं।

पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

- इस वर्ष ग्रामीण विकास के अंतर्गत सर्वाधिक राशि अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (2515) के अंतर्गत जारी की गई है जो कुल ग्रामीण विकास के बजट का 63.24 प्रतिशत, 9057.69 करोड़ रू. है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग, पंचायतों को निर्बन्ध राशि, ग्रामीण बीपीएल आवास, टी.एस.पी., पिछड़ा जिला विकास कोष, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम जिला नवाचार कोष एवं मध्यान्ह भोजन को सम्मिलित किया गया है।
- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष के अंतर्गत पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ग्राम विकास, अनुसूचित जातियों की विशिष्ट योजना एवं जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को शामिल किया गया है।

शेष पृष्ठ 2 पर....

पृष्ठ 1 का शेष : राज्य बजट में ग्रामीण विकास....

- ग्राम रोजगार मद के अंतर्गत कुल आवंटन का 22.29 प्रतिशत, 3193.35 करोड़ रु. की राशि का आवंटन हुआ है। महानरेगा जैसी बड़ी योजना की राशि भी इसी में शामिल है।
- अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे कम 445 करोड़ रु. (कुल आवंटन का 3.10 प्रतिशत) का आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम में डांग जिले, पिछड़े जिले एवं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्मिलित है।
- पिछले कुछ वर्षों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राशि आवंटन तो प्रत्येक वर्ष हो रहा है लेकिन आवंटित राशि को खर्च नहीं किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त दोनों कार्यक्रमों के बैंक खातों में भारी राशि अनुपयोगी पड़ी है।

तालिका 3 : ग्रामीण विकास के लिए मुख्य शीर्षवार राशि आवंटन

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विषय	2015–16 वास्तविक	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित	% प्रतिशत
1	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**540.28**	**1067.6**	**1058.59**	**7.39 %**
1.1		मरूस्थल विकास कार्यक्रम				
1.2		बंजर भूमि विकास (राज्यांश)	531.58	942.54	892.13	
1.3		स्वरोजगार कार्यक्रम (राज्यांश)	8.69	125.06	166.45	
2	2505	ग्राम रोजगार	**3949.18**	**3135.88**	**3193.35**	**22.29 %**
2.1		राष्ट्रीय कार्यक्रम	634.61	1299.53	1198.60	
2.2		महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना	3304.07	1825.85	1994.75	
		अन्य कार्यक्रम	10.50	10.50		
3	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	**7708.26**	**8540.99**	**9057.69**	**63.24 %**
4	2575	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	**0.71**	**1.87**	**2.19**	**0.01 %**
4.1		पिछडे क्षेत्र (मेवात, डांग)	0.36	1.37	1.69	
4.2		सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	0.35	0.50	0.50	
5	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	**504.44**	**551.84**	**568.00**	**3.96 %**
6	4575	अन्य क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	**268.5**	**344.56**	**442.81**	**3.09 %**
6.1		डांग जिले	43.79	49.4	49.41	
6.2		पिछडे क्षेत्र	84.85	145.66	233.9	
6.3		सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता)	139.85	149.5	159.5	
		योग	**12971.37**	**14858.80**	**14322.63**	**100 %**

स्रोत : बजट पुस्तक 2017–18

तालिका 4 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये राज्य सरकार का आवंटन

(राशि करोड़ में)

महानरेगा	2011–12 वास्तविक	2012–13 वास्तविक	2013–14 वास्तविक	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित
राशि	200.00	266.00	388.50	349.86	361.00	313.58	494.75

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

तालिका 5 : महानरेगा के लिये राज्य एवं केन्द्र का संयुक्त राशि आवंटन

(राशि करोड़ में)

	2014–15 संशोधित	2015–16 संशोधित	2016–17 संशोधित	2017–18 अनुमानित
कुल	3849.86	3809.95	1825.85	1994.75
केन्द्रीयांश	3500.00	3448.95	-	-

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

- वर्तमान वर्ष में महानरेगा के लिये कुल 1994.75 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है लेकिन यह केवल महानरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में प्रस्तावित राशि की जानकारी है। इस लेख के प्रारम्भ में बताया गया है कि महानरेगा में श्रमिक भुगतान सीधे केन्द्र से किया जा रहा है इसलिए वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में महानरेगा के कुल आवंटन में श्रमिक भुगतान की राशि सम्मिलित नहीं है।
- उपरोक्त तालिका के अध्ययन से महानरेगा योजना पर राज्य सरकार के खर्च को समझा जा सकता है। यदि देखा जाये तो वर्ष 2014–15 तथा 2016–17 के अलावा पिछले सभी वर्षों में राज्य सरकार ने महानरेगा योजना के लिये राज्यांश की राशि में बढ़ोतरी की है। महानरेगा के कुल सामग्री बजट में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान करती है।
- वर्ष 2017–18 में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में महानरेगा के लिये लगभग 170 करोड़ रू. अधिक के सामग्री बजट का अनुमान किया गया है तथा इसके आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि महानरेगा के लिये कुल बजट में भी लगभग इसी अनुपात में बढोतरी की गई होगी।

तालिका 6 : महानरेगा योजना की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 फरवरी तक
1	जॉब कार्डधारी परिवार (लाख में)	98.30	98.46	99.36	95.15
2	कार्य पर नियोजित परिवार (लाख में)	36.15	36.87	42.21	42.99
3	कुल सृजित मानव दिवस (लाख में)	1838.55	1686.19	2341.34	2146.96
4	महिलाओं के मानव दिवस (लाख में)	1245.76	1150.97	1616.06	1441.09
5	100 दिवस कार्य वाले परिवार (लाख में)	4.46	2.81	4.69	2.12
6	औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	51	46	55	50
7	औसत श्रमिक दर रू. प्रति मानव दिवस	107	115	120	131

स्रोत : महानरेगा की वेबसाईट के आधार पर

- वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक वर्ष दर वर्ष महानरेगा की भौतिक प्रगति में कमी देखने में आई है।
- कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या पिछले चार वर्ष में 36.15 लाख से बढ़कर वर्तमान वर्ष में 42.99 लाख हो गई है।
- महिलाओं के मानव दिवसों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2016–17 में भारी कमी देखने में आई है।
- वर्तमान वर्ष में औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार तथा 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016–17 में कमी देखी जा सकती है।

राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति

राज्य में अलपसंख्यकों के लिये बजट में मामूली बढ़ोतरी पर फिर रहा कुल बजट के एक प्रतिशत से कम

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.5 प्रतिशत अर्थात 78.9 लाख है जिसमें मुसलमान 62.15 लाख, सिक्ख 8.7 लाख, ईसाई 0.9 लाख, जैन 6.2 लाख एवं बौद्ध 0.12 लाख हैं। वर्ष 2001 में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 10.07 प्रतिशत अर्थात् 56.89 लाख थी जिसमें मुसलमान 47.88 लाख, सिक्ख 8.18 लाख, ईसाई 0.73 लाख एवं बौद्ध 0.10 लाख थे।

अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता दर कम होने, बच्चों की जन्म मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक होने, रोजगार के अवसर कम होने आदी कारणों से वह विकास की मुख्य धारा से पिछड़े हुऐ हैं, अतः इनके विकास एवं उत्थान के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में त्वरित गति से कार्य कराये जाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं व शिकायतों के निदान के लिय राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध व पारसी) के लिये केन्द्र सरकार की तर्ज पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों से संबन्धित विभिन्न संस्थाएं जैसे राज्य हज कमेटी, वक्फ विभाग, मदरसा बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम एवं राजस्थान वक्फ विभाग परिषद भी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

राज्य में अलपसंख्यक मामलात विभाग का बजट

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जाता है और साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को कारोबार ऋण, शिक्षा ऋण आदि आसान दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2017–18 में पारित बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये कुल 166.44 करोड़ रूपये आवंटित हुए जो गत वर्ष तरह राज्य के कुल बजट का केवल 0.09 प्रतिशत ही है जो कि नगण्य है। यह गत वर्ष के आय– व्ययक अनुमान से केवल 0.02 प्रतिशत ही बढ़ाया गया है।

नीचे दी गयी तालिका में पिछले चार वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि किसी भी वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग को आवंटित राशि राज्य के कुल बजट का 1 प्रतिशत भी नहीं है।

तालिका 1 : पिछले वर्षों में राज्य बजट में अल्पसंख्यकों को आवंटन (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल बजट	अल्पसंख्यक	प्रतिशत
2014–15 (बजट अनुमान)	131426.89	115.5	0.08
2014–15 (लेखे)	116605.48	79.5	0.06
2015–16 (बजट अनुमान)	137713.38	102.166	0.07
2015–16 (लेखे)	169785.78	97.01	0.06
2016–17 (बजट अनुमान)	171260.99	155.47	0.09
2016–17 (संशोधित अनुमान)	170878.88	155.71	0.09
2017–18 (बजट अनुमान)	181753.9	166.44	0.09

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि राज्य बजट के मुख्य शीर्ष 2225, 4225 तथा 6225 के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 04 से, मुख्य शीर्ष 2202 के उपमुख्य शीर्ष 800 से एवं 2250 के उपमुख्य शीर्ष 102 से आवंटित की जाती है जिसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2 : पिछले तीन वर्षों में राज्य बजट में अल्पसंख्यकों को आवंटन

(राशि करोड़ में)

वर्ष/लेखा शीर्ष		2202	2225	2250	4225	6225	महायोग
		सामान्य शिक्षा – मदरसा स्कूल बोर्ड (उपमुख्य शीर्ष 800)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अन्य सामाजिक सेवाएं – वक्फ ट्रिब्यूनल (उपमुख्य शीर्ष 102)	अनुसुचित जातियों , अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पुंजीगत परिव्यय (उपमुख्य शीर्ष 04)	अनुसुचित जातिय़ों अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज (उपमुख्य शीर्ष 04)	अल्पसंख्यकों का कल्याण का योग
BE 2014-15 (परिवर्तित)	आयोजना भिन्न	0	10.51	0.4	0	0	10.91
	आयोजना	63.77	35.84	0	2.5	2.5	104.61
	कुल	63.77	46.36	0.4	2.5	2.5	115.53
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	3.15	29.77	0	0	0	32.92
AE 2014-15	आयोजना भिन्न	0	8.3	0.5	0	0	8.8
	आयोजना	47.32	12.45	0	8.36	2.5	70.63
	कुल	47.32	20.83	0.5	8.36	2.5	79.5
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0	0	0	0	0
BE 2015-16	आयोजना भिन्न	0	9.65	0.5	0	0	10.15
	आयोजना	65.76	6.75	0	16.46	3	92
	कुल	65.76	16.4	0.5	16.48	3	102.166
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	0.5	0	7.5	0	8.09
RE 2015-16	आयोजना भिन्न	0	8.1	0.6	0	0	8.7
	आयोजना	44.3	6.9	0	48.6	2.65	102.45
	कुल	44.3	13.47	0.6	48.6	2.65	109.62
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.15	0	0	0	1.15
BE 2016-17	आयोजना भिन्न	0	11	0.6	0	0	11.6
	आयोजना	68.25	8.53	0	64.07	3	143.85
	कुल	68.25	19.55	0.6	64.07	3	155.47
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.07	0	33.87	0	34.94
RE 2016-17	आयोजना भिन्न	0	11.22	0.69	0	0	11.91
	आयोजना	68.25	8.36	0	65.72	1.55	143.88
	कुल	68.25	19.5	0.69	65.72	1.55	155.71
	राज्य आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	0	1.07	0	37.7	0	38.77
BE 2017-18	राज्य निधी	75.2	26.88	074	16.86	1.55	121.23
	केन्द्रीय सहायता	0	1.29	0	43.93	0	45.22
	कुल	75.2	28.17	0.74	60.73	1.55	166.44

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार पर

शेष पृष्ठ 4 पर....

राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य हेतु बजट

स्वास्थ्य मानव विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सूचक है एवं समाज के सामजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से जुड़ा हुआ है। लेकिन देश में स्वास्थ्य के हालात बेहद कमजोर हैं साथ ही बड़ी संख्या में महिलायें एवं बच्चे एनिमिया एवं कुपोषण से ग्रसित है।

राजस्थान की बात की जाये तो एनएफएचएस–4 (वर्ष 2015–16) के अनुसार राज्य में करीब 46.8 प्रतिशत महिलायें एनिमिया से ग्रसित हैं वहीं करीब 37 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 39.1 प्रतिशत बच्चे औसत से कम लम्बाई (stunted) के हैं वहीं 6–59 महीने के बच्चों में से लगभग 60.3 प्रतिशत बच्चे एनिमिया के शिकार हैं तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 36.7 प्रतिशत बच्चों का वज़न जन्म के समय प्रमाणित वज़न से कम पाया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार देश 15–49 साल की महिलाओं में से लगभग 46.8 प्रतिशत महिलाऐं एनिमिया से ग्रसित हैं। राजस्थान की 2016–17 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 43 (प्रति हजार जीवित जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (37) से 6 अंक अधिक है। इसी प्रकार मातृ मृत्यु दर 244 (प्रति लाख जन्म) है जो राष्ट्रीय औसत (167) से 77 अंक अधिक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब है। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जरीये प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियांवयन में बजट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।

चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान का कुल बजट (उदय बिना) 166753.55 करोड़ रूपये है जिसमें से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए कुल 9750.6 करोड़ रूपये आवंटित किये गए हैं, जो कुल राज्य बजट का 5.85 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.46 प्रतिशत कम है।

तालिका : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट विवरण

(राशि करोड में)

		चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			परिवार कल्याण			महा योग
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग	
2014–15 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3101.65	0	3101.65	28.15	0	28.15	**3129.8**
	आयोजना	1548.57	1073.78	2622.35	2951.25	0	2951.25	**5573.6**
	योग	**4650.22**	**1073.78**	**5724**	**2979.39**	**0**	**2979.39**	**8703.39**
2014–15 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	2982.83	0	2982.83	22.8	0	22.8	**3005.63**
	आयोजना	971.15	484.32	1455.47	1996.6	0	1996.6	**3452.07**
	योग	**3953.98**	**484.32**	**4438.3**	**2019.4**	**0**	**2019.4**	**6457.7**
2015–16 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3325.23	0	3325.23	27.32	0	27.32	**3352.55**
	आयोजना	1995.44	1068.69	3064.13	2999.59	0	2999.59	**6063.72**
	योग	**5320.67**	**1068.69**	**6389.36**	**3026.91**	**0**	**3026.91**	**9416.27**
2015–16 वास्तविक व्यय	आयोजना भिन्न	3172.31	0	3172.31	23.4	0	23.4	**3195.71**
	आयोजना	1567.39	575.58	2142.97	2419.12	0	2419.12	**4562.09**
	योग	**4739.7**	**575.58**	**5315.28**	**2442.53**	**0**	**2442.53**	**7757.81**
2016–17 बजट अनुमान	आयोजना भिन्न	3464.3	26.94	3491.24	0	0	0	**3491.24**
	आयोजना	2236.4	2547.95	4784.35	1261.78	0	1261.78	**6046.13**
	योग	**5700.7**	**2574.89**	**8275.59**	**1261.78**	**0**	**1261.78**	**9537.37**
2016–17 संशोधित अनुमान	आयोजना भिन्न	3573.02	0	3573.02	27.88	0	27.88	**3600.9**
	आयोजना	2059.04	645.22	2704.26	2268.31	0	2268.31	**4972.57**
	योग	**5632.06**	**645.22**	**6277.28**	**2296.19**	**0**	**2296.19**	**8573.47**
2017–18 बजट अनुमान	केन्द्र निधि	5874.12	760.72	6634.84	848.7	0	848.7	**7483.54**
	राज्य निधि	193.95	569.9	763.85	1503.19	0	1503.19	**2267.04**
	योग	**6068.07**	**1330.62**	**7398.69**	**2351.88**	**0**	**2351.88**	**9750.57**

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में की गई कुल आवंटित राशि को दर्शाता है। तालिका द्वारा देखा जा सकता है कि वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 9750.57 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 9537.37 करोड़ रू. आवंटित किये गए थे जो संशोधित बजट में घटकर 8573.47 करोड़ रु. रह गए। इससे यह पता चलता है कि जितनी राशि आवंटित हो रही है सरकार उतना खर्च नहीं कर रही। वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार की कुल अनुमानित बजट राशि में वर्ष 2015–16 और 2016–17 की अनुमानित बजट राशि की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के आयोजना बजट में 2016–17 की तुलना में 213.20 करोड़ रू की बढ़ोतरी की गयी है जो बहुत अधिक नहीं है।

राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा

नीचे दी गयी तालिका राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा दर्शाती है:

तालिका : राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा

(राशि करोड में)

वर्ष		कुल राज्य बजट (उदय बिना)	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल आवंटन	प्रतिशत
2014–15	बजट अनुमान	131426.9	8703.359	6.62
	वास्तविक व्यय	116605.5	6457.71	5.54
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	9416.27	6.84
	वास्तविक व्यय	129736.02	7757.8	5.98
2016–17	बजट अनुमान	151127.7	9537.39	6.31
	संशोधित अनुमान	148506.69	8573.5	5.77
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	9750.6	5.85

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2017–18 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 5.85 प्रतिशत और 2016–17 में राज्य के कुल अनुमानित बजट का 6.31 प्रतिशत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए आवंटित किया गया जो 2016–17 के संशोधित बजट में घटकर 5.77 प्रतिशत एवं 2015–16 के लेखे में घटकर 5.98 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा 2017–18 में राज्य बजट में चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.46 प्रतिशत कम है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान

नीचे दी गई तालिका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आने वाली मुख्य योजनाओं के बजटीय प्रावधान को दर्शाती है।

तालिका : शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल व्यय

(राशि करोड में)

आयोजना		2014–15 बजट अनुमान	2014–15 वास्तविक व्यय	2015–16 बजट अनुमान	2015–16 वास्तविक व्यय	2016–17 बजट अनुमान	2016–17 संशोधित अनुमान	2017–18 बजट अनुमान
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	शहरी	290.13	75.55	290.13	81.16	117.50	70.5	90.48
	ग्रामीण	1830	1129.08	1834	1643.04	1622.61	1415.49	1525.21
मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना		299.56	245.04	367.42	363.46	360.36	300.36	415.99
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना		131.52	85.44	131.22	111.83	129.46	117.06	131.06

स्रोत : राज्य बजट पुस्तिका राजस्थान सरकार

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन** : वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पर अनुमानित बजट राशि 290.13 करोड़ रूपये थी जो 2014–15 के लेखे में घट कर सिर्फ 75.55 करोड़ रूपये और 2015–16 में वास्तविक व्यय सिर्फ 81.16 करोड़ रूपये रही। इससे सरकार की बजट राशि उपयोग न कर पाने की अक्षमता प्रतीत होती है। 2016–17 की बजट अनुमान राशि में 2015–16 की बजट अनुमान राशि की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत की कमी की गयी थी व 2017–18 में के बजट में उसे और घटा दिया गया है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 2014–15 के बजट अनुमान में कुल 1830 करोड़ रूपये और 2015–16 के बजट अनुमान में कुल 1834 करोड़ रूपये आवंटित किये गए, जो 2014–15 के लेखे में घट कर 1129.08 करोड़ रूपये और 2015–16 लेखे में घटकर 1643.04 करोड़ रूपय हो गया। इसके अलावा 2016–17 के संशोधित बजट में 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की गयी है। 2017–18 में इस योजना का बजट करीब 100 करोड़ रूपय से घटा दिया गया है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना** : वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 299.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से सिर्फ 245.04 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की अनुमानित बजट राशि में कुल 367.42 करोड़ रूपये आवंटित किये गए जो 2015–16 के लेखे में घटकर 363.46 करोड़ रूपये रह गया। इसके अलावा 2016–17 की बजट अनुमान राशि में करीब 7 करोड़ रूपये की कमी की गयी है। 2017–18 में इस स्कीम में केवल 55.63 करोड़ रुपये का बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की जरूरत और लोकप्रियता को देखते हुए यह कमी चिंताजनक है।
- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना** : मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमानित बजट राशि में 131.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें से सिर्फ 85.44 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। वित्तीय वर्ष 2015–16 के कुल बजट अनुमान 131.22 करोड़ रूपये थी जिसमें से सिर्फ 111.83 करोड़ रुपये वास्तविक तौर पर खर्च हो पाये। 2017–18 में इस योजना की राशि में मात्र 2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

पृष्ठ 1 का शेष, संपादकीय

2. अल्पसंख्यकः

- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों का, निगरानी एवं निरीक्षण समितियों के अभाव में, आंकलन नहीं हो पा रहा है। अतः इन कार्यक्रमों के मुल्यांकन हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।
- राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्थित नीति के अभाव में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण इस विषय के अध्ययन से छात्र वंचित हो रहे हैं अतः राज्य में विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाये।

3. महिलाएं :

- राज्य में जेंडर बजटिंग में आवश्यक सुधार कर इसका व्यवस्थित क्रियांवयन सुनिश्चित किया जाये।
- सभी थानों में महिला डेस्क तो हैं लेकिन चालु नहीं है। अतः महिला डेस्क को चालु किया जाये एवं डेस्क में महिला कोंस्टेबल हेतु वहीं आवास की व्यवस्था की जाये।

4. बच्चेः

- अन्य राज्यों के मुकाबले राज्य के बच्चों का सामाजिक एवं मानव विकास सूचकों (पोषण, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, बाल मृत्यु एवं संरक्षण आदि) की स्थिति काफी खराब है अतः इनमें सुधार हेतु प्रयास किये जायें।
- राज्य में बच्चों के संरक्षण संबंधी सेवाओं एवं योजनाओं हेतु बजट बहुत ही कम है अतः बच्चों के संरक्षण हेतु बजट बढ़ाया जाये।

5. विशेष योग्यजनः

- प्रारंभिक अवस्था में ही निःशक्तता जांच की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये एवं पूर्ण निःशक्त जनों (जैसे–शय्याग्रस्थ) के लिये संपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिये।
- निःशक्तता प्रमाणपत्र एक बड़ा मुद्दा है अतः जिन विकलांगताओं की जांच सरलता से की जा सकती है, उनके जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) पर करने के साथ प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था हो।
- बी.पी.एल. परिवारों को मिलने वाली सारी सुविधाएं एवं लाभ आस्था कार्ड योजना के तहत आस्था कार्ड धारियों को प्रदान किये जायें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for All)

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक (आजादी की 75वीं वर्षगांठ) देश के सभी शहरी गरीबों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को देश में प्रारम्भ किया है। इस योजना से पूर्व सरकार द्वारा ''इंदिरा आवास योजना'' चलायी जा रही थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करने के लिये कार्यरत थी। इंदिरा आवास योजना में बदलाव कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से लाया गया है। इस योजना में ग्रामीण के साथ–साथ शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने की बात की गयी है व योजना को पूरा करने का एक लक्षित समय निर्धारित किया गया है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 से 2022 तक देश के सभी शहरी गरीबों को आवास की आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है तथा यह योजना तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी। इस योजना का क्रियान्वयन देश के 34 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 3888 शहरी क्षेत्रों (जिसमें 468 ए–क्लास शहर भी सम्मिलित हैं) में किया जायेगा।

राजस्थान में संचालित 'प्रधानमंत्री आवास योजना' एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है जिसका राज्य में क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया। इस योजना के लिये राज्य से कुल 183 शहरी क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां अगले कुछ वर्षों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

इस आलेख में यह बताना जरूरी है कि सरकार ने वर्ष 2016–17 के संशोधित तथा वर्ष 2017–18 के अनुमानित बजट में राज्य के ग्रामीण बी.पी.एल. लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिये संचालित इंदिरा आवास योजना में राशि आवंटन बंद करके उसके स्थान पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवंटन प्रारम्भ किया गया है।

तालिका 1 : प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कुल आवंटन

(राशि करोड़ में)

बजट मद	2016–17 संशोधित			2017–18 अनुमान		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	2.52	101.74	104.26 **(8.19%)**	2.90	247.10	250.00 **(17.25%)**
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	467.00	700.48	1167.46 **(91.81%)**	209.80	988.80	1198.60 **(82.75%)**
कुल बजट	**469.52**	**802.22**	1271.74 **(100%)**	212.70	1235.90	1448.60 **(100%)**

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार

तालिका 2 : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

(राशि करोड़ में)

बजट मद	2016–17 अनुमान			2016–17 संशोधित			2017–18 अनुमान		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
सामान्य वर्ग	1.76	157.32	159.08 (68.69%)	1.74	69.86	71.60 (68.67%)	0.30	169.70	170.00 (68.00%)
अनुसूचित जाति उपयोजना	0.45	40.85	41.30 (17.82%)	0.45	18.15	18.60 (17.84%)	0.95	44.05	45.00 (18.00%)
अनु. जनजाति उपयोजना	0.35	30.93	31.27 (13.49 %)	0.33	13.73	14.06 (13.49%)	1.65	33.35	35.00 (14.00%)
कुल बजट	2.56	229.10	231.66 (100%)	2.52	101.74	104.26 (8.19%)	2.90	247.10	250.00 (100%)

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार

पिछले वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 231.66 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया था। इस आवंटन में से 98.89 प्रतिशत, लगभग 229.10 करोड़ केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत तथा मात्र 1.11 प्रतिशत, लगभग 2.56 करोड़ रु. राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये। इसके साथ ही योजना हेतु कुल आवंटन का 17.82 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये तथा 13.49 प्रतिशत जनजाति उपयोजना के लिये प्रस्तावित रूप से रखा गया।

पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 104.26 करोड़ रू. के व्यय का प्रावधान रखा गया। यह प्रावधान वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में आधे से भी कम है अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना के संशोधित बजट में बजट अनुमान की तुलना में लगभग 127.40 करोड़ रू. की कटौती की गई। इस कुल आवंटन में से 97.58 प्रतिशत, लगभग 101.74 करोड़ केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा मात्र 2.42 प्रतिशत, लगभग 2.52 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित रखे गये।

वर्तमान वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिये कुल 250 करोड़ रू. के व्यय का प्रावधान रखा गया, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 18.34 करोड़ रु. तथा संशोधित बजट की तुलना में 145.74 करोड़ रू. अधिक है। इस कुल आवंटन में से 98.84 प्रतिशत, लगभग 247.10 करोड़ रु. केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा मात्र 1.16 प्रतिशत, लगभग 2.90 करोड़ राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित किये गये। इसके साथ ही योजना हेतु कुल आवंटन का 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये तथा 14 प्रतिशत बजट जनजाति उपयोजना के लिये प्रस्तावित किया गया।

यदि देखा जाये तो राज्य सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बजट अनुमान में तो बहुत अधिक राशि आवंटन दिखा रही है, लेकिन योजना हेतु संशोधित बजट तथा वास्तविक खर्च में यह आवंटन घट कर आधे से भी कम रह जाता है। योजना के आवंटन में यह कटौती कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर रणनीति तथा ढ़ीले क्रियान्वयन की ओर इशारा करती है।

तालिका 3 : प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु कुल आवंटन (ग्रामीण)

(राशि करोड़ में)

बजट मद	2016–17 (संशोधित)			2017–18 (अनुमान)		
	राज्य	केन्द्र	कुल	राज्य	केन्द्र	कुल
सामान्य वर्ग	197.58	296.35	493.93 (42.32%)	88.12	415.29	503.41 (42.61%)
अनुसूचित जाति उपयोजना	86.90	130.33	217.23 (18.60%)	39.86	187.87	227.73 (18.99%)
अनुसूचित जनजाति उपयोजना	182.52	273.78	456.30 (39.08%)	81.82	385.63	467.45 (38.40%)
कुल बजट	467.00	700.48	1167.46 (100%)	209.80	988.80	1198.60 (100%)

स्रोत : बजट पुस्तकों के आधार

पिछले वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल 1167.46 करोड़ रू. के व्यय का प्रावधान किया गया। इस कुल आवंटन में 42.32 प्रतिशत राशि सामान्य वर्ग के लिये, 18.60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत तथा 39.08 प्रतिशत राशि जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत व्यय हेतु रखी गई है। इसके साथ ही कुल आवंटन में करीब 60 प्रतिशत, (700.48 करोड़) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा करीब 40 प्रतिशत, (467 करोड़) राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित किये गये।

वर्तमान वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल 1198.60 करोड़ रू. का व्यय प्रावधान रखा गया जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के लगभग ही है। इस वर्ष कुल आवंटन का करीब 42.61 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिये, 18.99 प्रतिशत अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु तथा 38.40 प्रतिशत जनजाति उपयोजनान्तर्गत व्यय हेतु प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही कुल आवंटन में से 82.50 प्रतिशत (988.80 करोड़) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत तथा 17.50 प्रतिशत (209.80 करोड़) राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित किये गये।

यदि देखा जाये तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिये कुल आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित बजट के लगभग बराबर ही हुआ है लेकिन वर्तमान वर्ष में, योजनान्तर्गत राज्य निधि की राशि में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। पिछले वर्ष में कुल बजट की लगभग 40 प्रतिशत राशि राज्य निधि से खर्च हेतु प्रस्तावित थी जो वर्तमान वर्ष के बजट मे गिरकर करीब 17.50 प्रतिशत पर आ गई है।

पृष्ठ 2 का शेष, राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 34.2 करोड़ रू की ही बढ़ोतरी हुयी है जो कि बेहद कम है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा मद 2202 तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय मद 2225 में आवंटित व्यय में की गयी है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में विभाग के लिये पारित की गयी राशि में भी 2015–16 के बजट अनुमान की तुलना में सिर्फ 53 करोड़ रू की ही बढ़ोतरी हुयी थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से के लिये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पुंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी थी। 2015–16 तथा 2016–17 के बजट को देखने से मालूम चलता है कि मुख्य शीर्ष 2225 में आवंटित बजट में आयोजना भिन्न व्यय की तुलना में आयोजना व्यय कम है जिससे यह मालूम होता है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि में प्रशसनिक खर्चों का अनुपात कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की तुलना में ज्यादा है।

2015–16 के बजट अनुमान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को जारी राशि 102.16 करोड़ रू थी जो इसी वर्ष के संशोधित अनुमान में 6.9 करोड़ से बढ़ कर 109.06 करोड़ रू हो गयी है। यह बढ़ोतरी भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिय आवंटित पुंजीगत परिव्यय के आयोजना मद में की गयी है परंतु मुख्य शीर्ष 2202– सामान्य शिक्षा में मदरसों के लिये बजट में कमी की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2014–15 के लेखे से हम देख सकते हैं कि वास्तविक खर्च आवंटित बजट से 36.03 करोड़ रू कम है। यह कमी मुख्यतः बजट शीर्ष 2225– अल्पसंख्यकों के कल्याण पर राजस्व व्यय में की गयी है जो कि बजट अनुमान में 46.36 करोड़ रू थी परंतु वास्तविक र्खच केवल 20.83 करोड़ रू ही किया गया जो कि निंदा योग्य है क्योंकि इस शीर्ष में अल्पसंख्यक मामलात विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिये बजट आवंटन किया जाता है।

हालांकी इस वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये बजट में बढ़ोतरी देखी गयी है परंतु 2014–15 के लेखे में आयी कमी को देख कर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के कल्यााण के लिये आवंटित राशि को ठीक से खर्च नहीं किया गया है। अतः हम यह आशा करते हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिये अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटित राशि अधिक प्रभावशाली ढंग से खर्च की जाये ताकी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके।

संपादक – **नेसार अहमद**
संपादक मण्डल – **महेन्द्र सिंह राव**
– **भूपेन्द्र कौशिक**
– **बरखा माथुर**
– **मौलीश्री धस्माना**
– **पीयूष शर्मा**
सहयोग – **अंकुश वर्मा**
– **भीमसिंह मीणा**
सलाहकार – **डॉ जिनी श्रीवास्तव**

विभिन्न विभागों की बजट सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं बजट समाचार के लिए आप हमसे निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005
फोन/फैक्स : (0141) 238 5254
E-mail : info@barcjaipur.org website : www.barcjaipur.org

सेवा में, **बुक पोस्ट**

श्रीमान/श्रीमती..

....

.... **पिन कोड** ....